झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–426 वर्ष 2017

नारदेव साह, पे0 श्री रामेश्वर साह, निवासी ग्राम–देवबंध, डुमरिया, पोरैयाहाट, जिला–गोड्डा, झारखण्ड

.... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, सर्व शिक्षा अभियान, गोड्डा
3. जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–जिला कार्यक्रम अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, गोड्डा
4. उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, सर्व शिक्षा अभियान, जामताड़ा
5. जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–जिला कार्यक्रम अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, जामताड़ा
6. प्रखण्ड शिक्षा विस्तार अधिकारी–सह–समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, जामताड़ा
7. झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् अपने निदेशक, नई सहकारी भवन, श्यामल कॉलोनी, डोरण्डा, रांची के माध्यम से

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री (डॉ0) एस0एन0 पाठक**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्रीमती आभा वर्मा, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए :– श्री सौरभ अरूण, अधिवक्ता

श्री पी0पी0 रॉय, जी0पी0–IV के ए0सी0

05/14.05.2018 याचिकाकर्त्ता ने इस प्रार्थना के साथ इस न्यायालय से संपर्क किया है कि उत्तरदाताओं को 09.11.2012 से पहले की अवधि के लिए 1,05,000/–रूपये के देय मानदेय का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए, जब याचिकाकर्त्ता सी0आर0पी0, कलस्टर रिसोर्स सेंटर, मिडिल स्कूल ठाकुरनहल, पोरैयाहाट, गोड्डा के रूप में काम कर रहा था। स्वास्थ्य समस्या और अन्य सहानुभूति के आधार पर याचिकाकर्त्ता को जामताड़ा जिले से गोड्डा जिले में स्थानांतरित करने के लिए आगे प्रार्थना की गई है।

बहुत शुरूआत में, याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह पर्याप्त होगा यदि वर्तमान रिट याचिका को याचिकाकर्त्ता के अभ्यावेदन के रूप में माना जाए और याचिकाकर्त्ता के अभ्यावेदन पर एक उचित एवं युक्तियुक्त आदेश एक निर्धारित समय के भीतर पारित करने के लिए उत्तरदाताओं को एक निर्देश दिया जाय।

कोई जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया गया है। हालांकि, उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन पर आपत्ति नहीं करते हैं।

पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए निवेदनों के मद्देनजर, इस मामले के गुण–दोष में जाने के बिना, वर्तमान रिट याचिका को याचिकाकर्त्ता के अभ्यावेदन के रूप में माना जाए और तदनुसार, मैं याचिकाकर्त्ता को इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर इस आदेश की एक प्रति के साथ इस रिट याचिका की एक प्रति के साथ उत्तरदाताओं से संपर्क करने का निर्देश देता हूँ। इस तरह के अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, उत्तरदाताओं को याचिकाकर्त्ता के मामले पर विचार करने और

उसके बाद छह सप्ताह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार एक युक्तियुक्त आदेश पारित करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि याचिकाकर्त्ता को पूर्वोक्त देय लाभों का हकदार पाया जाता है, तो उसे तीन सप्ताह की अतिरिक्त अवधि के भीतर दिया जाएगा।

उपरोक्त निर्देशों के साथ, इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

((डॉ0) एस0एन0 पाठक)